राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या – 05/2023

राजस्थान सरकार जरिये अनुराग बेरवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0

........प्रार्थी

ब–ना–म

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामकरण जाति गुर्जर उम्र 40 साल निवासी राजोता तहसील खेतड़ी, जिला नीमकाथाना, राज0

........अप्रार्थी

आवेदन पत्र बाबत जब्तशुदा सामग्री को राजसात करने
अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री शीशराम मेहरड़ा, अप्रार्थी की ओर से

:: **निर्णय** :: **दिनांक : 05–02–2024**

राज्य सरकार की ओर से प्रार्थी अनुराग बेरवाल, प्रवर्तन निरीक्षक, खेतड़ी ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 16.03.2023 को मुझ प्रर्वतन निरीक्षक, खेतड़ी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स के व्यावसायिक दुरुपयोग के संबंध में निजामपुर मोड़, खेतड़ी स्थित अनूप होटल एवं रेस्टोरेंट की मौके पर पहुंच आकस्मिक जांच की कार्यवाही की गई। कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौका स्थल पर निजामपुर मोड़ खेतड़ी–सिंघाना मार्ग पर स्थित अनूप होटल एवं रेस्टोरेंट पर विनोद कुमार पुत्र रामकरण उपस्थित मिला। मौके पर प्रतिष्ठान के मालिक के बारे में जानकारी पूछने पर स्वयं को उक्त प्रतिष्ठान का मालिक व संचालक बताया व निरीक्षण करवाया। मौका स्थल पर [illegible] के प्रवेश के सामने स्थित चालू रसोई के परिसर की जांच करने पर [illegible] पाये गये। जिनमें से 01 घरेलू गैस सिलेण्डर स्वतंत्र रखा पाया गया तथा [illegible] घरेलू गैस सिलेण्डर [illegible] पहला एक रेगेलुटर व एक पाईप से लोहे के बड़े बर्नर/भट्ठी से, दूसरा एक रेगुलेटर से एक पाईप से 03 छोटी पाईप से जुड़ा होकर 03 छोटर बर्नर तथा तीसरा एक रेगुलेटर से एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

पाईप से 02 छोटी पाईप से जुड़ा होकर 02 छोटी भट्टियों से जुड़ा पाया जाकर रेस्टोरेंट में सब्जी बनाने के उद्देश्य से 02 कुकर पर प्रयोग में लेना पाया गया। मौके पर प्रतिष्ठान के मालिक विनोद से पूछताछ करने पर उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यावसायिक दुरुपयोग के संबंध में कोई संतोषजनक जानकारी प्रदान नहीं की गई तथा न ही इस संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी को धमकाने का प्रयास किया गया व बार–बार प्रतिष्ठान से जाने की धमकी दी गई। अप्रार्थी श्री विनोद कुमार पुत्र रामकरण मालिक अनूप होटल एवं रेस्टोरेंट द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का व्यावसायिक दुरुपयोग व भण्डारण करना पाया। मौके पर उपलब्ध 04 घरेलू गैस सिलेण्डर्स मय एक रेगुलेटर व एक पाईप से लोहे के बड़े बर्नर/भट्टी से, दूसरा एक रेगुलेटर से एक पाईप से 03 छोटी पाईप से जुड़ा होकर 03 छोटे बर्नर तथा तीसरा एक रेगुलेटर से एक पाईप से 02 छोटी पाईप से जुड़ा होकर 02 छोटी भट्टियों से जुड़े को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर आदेश की धारा 13(1)(ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में जब्त राज लिये जाने का निर्णय लिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से उक्त सामग्री मौके पर बुलवाये गये वायुसैनिक गैस एजेंसी खेतड़ी एचपी के व्यवस्थापक/प्रतिनिधि श्री विजय कुमार को सुपुर्द किये जाने का निर्णय लिया गया, परन्तु जांच समाप्ति के उपरान्त जब सामग्री को गैस एजेन्सी की गाड़ी में डलवाना प्रारंभ किया गया तत्समय विनोद कुमार द्वारा अभद्रता की गई, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया व सामग्री नहीं उठवाने दी गई। होटल के कर्मचारियों को बुलाकर जबरन गैस सिलेण्डर्स के अतिरिक्त वर्णित सामग्री को अन्यत्र रखवा लिया व प्रार्थी को जान से मारने व देख लेने जैसी धमकियां दी गई। वाद विवाद किया गया। सरकारी कार्य में रूकावट डाली गई। इस प्रकार केवल 04 घरेलू गैस सिलेण्डर्स ही जब्त हो सके व गैस एजेन्सी की सुपुर्दगी में भी 04 घरेलू गैस सिलेण्डर्स ही दिलवाये जा सके।

इस प्रकार विनोद कुमार पुत्र रामकरण जाति गुर्जर उम्र 40 वर्ष, निवासी राजोता तहसील खेतड़ी 8947996271 मालिक/संचालक अनूप होटल एवं रेस्टोरेंट, निजामपुर मोड़ तहसील खेतड़ी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दुरुपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदे[illegible] के क्लॉउज 3(1)(ग) व 7(1)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु [illegible] की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अ[illegible] रूप से भण्डारित एवं प्रयुक्त जब्त की गई सामग्री 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने का आदेश

उपखण्ड अ[illegible]री, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:22 IST
Reason: SelfAttested

फरमावें। चूंकि गैस सिलेण्डर तेल कम्पनी की सम्पति है एवं उन्हें इस कारण से एवं सुरक्षा की दृष्टि से खुले बाजार में नीलाम नहीं किया जा सकता है। अतः निस्तारण हेतु इनको संबंधित तेल कम्पनी को ही सुपुर्द किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, झुन्झुनूं से अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के संबंध में अपना जवाब, अपने बचाव में समुचित साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार दिनांक 16.03.2023 को प्रवर्तन निरीक्षक, खेतड़ी द्वारा अनूप होटल एवं रेस्टोरेन्ट पर की गई कार्यवाही गलत तौर से की गई है। मौका स्थल के पास ही अप्रार्थी विनोद कुमार के आवासीय मकान है मौके से प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा 4 घरेलू सिलेण्डर जब्त करना दर्शाया गया है। उक्त सिलेण्डर नं. 1 फर्द जप्ती में मात्र 90 ग्राम गैस होना दुसरा सिलेण्डर में मात्र 100 ग्राम गैस होना तीसरे सिलेण्डर में 3–8 किलोग्राम गैस होना तथा चौथा सिलेण्डर में 10.9 किलोग्राम गैस होना दर्शाया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त चारों सिलेण्डर खाली थी जो गैस एजेन्सी के वाहन से गैर भरवाने हेतु उक्त प्रतिष्ठान पर रखते हुए थे उक्त सिलेण्डर व्यवसायिक गतिविधि में लिप्त नहीं थे। प्रवर्तन निरीक्षक अधिकारी ने गलत रूप से कार्यवाही कर अप्रार्थी के सिलेण्डर जब्त किये हैं। अप्रार्थी निजामपुर रोड़ खेतड़ी सिंघाना मार्ग पर स्थित अनूप होटल एवं रेस्टोरेन्ट का व्यवसाय जरूर करता है उक्त व्यवसाय पर व्यवसायिक सिलेण्डर ही उपयोग उपभोग में लेता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्यवाही निरस्त कर जब्त शुदा घरेलू गैस सिलेण्डर अप्रार्थी को लौटाये जाने का आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक, खेतड़ी के आवेदन पत्र दिनांक 17.03.2023 एवं उसके साथ संलग्न फर्द मौका, सुपुर्दगीनामा, फर्द नक्शा एवं फोटोग्राफस का ध्यानपूर्वक अवलो[illegible] किया गया। फर्द मौका निरीक्षण दिनांक 16.03.2023 के अवलोकन से स्पष्ट साबित है कि [illegible]थी [illegible]ोद कुमार पुत्र रामकरण जाति गुर्जर उम्र 40 वर्ष, निवासी राजोत[illegible] [illegible]ालक अनूप होटल एवं रेस्टोरेंट, निजामपुर मोड़ तहसील खेतड़ी द्वारा घ[illegible] गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ दुरुपयोग किया गया है तथा प्रवर्तन निरीक्षक, खेतड़ी द्वारा 04 घरेलू गैस सिलेण्डर जो मौके व्यावसायिक उपयोग में लिये जा रहे थे उनको जब्त कर वायुसैनिक गैस एजेन्सी, खेतड़ी के सुपुर्द किये जो विधि सम्मत् है। इस प्रकार अप्रार्थी विनोद कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी राजोता तहसील खेतड़ी, संचालक अनूप होटल एवं रेस्टोरेंट, निजामपुर मोड़, तहसील खेतड़ी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के क्लाउज 3(1)(ग) व 7(1)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अवैध रूप से भण्डारित एवं प्रयुक्त जब्त की गई सामग्री 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि गैस सिलेण्डर तेल कम्पनी की सम्पत्ति है एवं उन्हें इस कारण से एवं सुरक्षा की दृष्टि से खुले बाजार में नीलाम नहीं किया जा सकता है। इसलिए जिला रसद अधिकारी, नीमकाथाना उक्त गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें। इस आशय की तहरीर जिला रसद अधिकारी, नीमकाथाना के नाम जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05–02–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:22 IST
Reason: SelfAttested